06/2025

पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता अनुपस्थित वादी को न्यायालय समय में रुक-रुक कर तीन बार आवाज लगाई गई, लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ। न्यायालय का समय समाप्त हो रहा है, अतः वाद सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 9 नियम 8 के तहत अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली खारिज शुमार होकर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

Reader
26/12/2023

सेवामें

श्रीमान सहायक कलेक्टर एवम

उपखण्ड अधिकारी महोदय बापिणी जिला फलोदी

राजस्व वाद सख्या /2023

**वादी**

आसूराम पुत्र श्री केसाराम जाति जाट निवासी ग्रम जेवासर तहसील बापिणी जिला फलोदी

**बनाम**

**प्रतिवादीगण :–**

1. घमण्डाराम पुत्र श्री केसाराम
2. अमराराम पुत्र श्री केसाराम
3. उरजाराम पुत्र श्री केसाराम
4. कपिल पुत्र श्री मोतीराम
5. खीयाराम पुत्र श्री घमण्डाराम
6. गुडी पत्नी श्री पुखराज
7. चन्द्र प्रकाश पुत्र मोतीराम
8. देवीलाल पुत्र श्री मोतीराम
9. धमेन्द्र पुत्र श्री मोतीराम
10. पुखराज पुत्र श्री घमण्डाराम
11. मगाराम पुत्र श्री केसाराम
12. मदनलाल पुत्र श्री मोतीराम
13. मीरा पत्नी श्री खियाराम

14. श्रवण कुमार पुत्र श्री मोतीराम

15. हीराराम पुत्र श्री मोतीराम

16. अन्नी पत्नी श्री पपूराम

17. ईमरती पत्नी श्री श्रवणराम

18. उगमा पत्नी श्री लालाराम

19. पपूराम पुत्र श्री उरजाराम

20. बाबुराम पुत्र श्री उरजाराम

21. लालाराम पुत्र श्री उरजाराम

22. सुशीला पत्नी श्री देवीलाल

23. शायरी पत्नी श्री हीराराम

24. सीता पत्नी श्री मदनलाल सभी जाति जाट निवासी ग्रम जेवासर तहसील बापिणी जिला फलोदी ।

25. सरकार जरिये तहसीलदार बापिणी जिला फलोदी

**<u>वाद अन्तर्गत धारा 188 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>**

मान्यवरजी,

वादी की ओर से निम्न वादपत्र पेश है :–

1. यह है कि वादी की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि तहसील बापिणी के राजस्व ग्राम मुकनासर के खसरा सख्या 837 (आठ सौ सेतीस) रकबा 5.3014 (पॉच दशमलव तीस चौदह) हेक्टर व राजस्व ग्रम जेवासर के खसरा सख्या 1245 (बारह सौ पेतालीस) रकबा 42.3624 (बयालीस दशमलव छतीस चोबीस) हेक्टर भूमि वादी व प्रतिवादीगण की सयुक्त खातेदारी की आई हुई है उक्त खसरान की भूमि की चालू जमाबन्दी की प्रति सलग्न वादपत्र पेश है । उक्त खसरान की भूमि को वादपत्र के आगामी पदो में वादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित किया जावेगा।

2. यह है कि उक्त खसरान की वागद्रस्त भूमि राजस्व रेकर्ड में सामलाती खातेदारी की भूमि है जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण का अन्दाजिया तौर से कम ज्यादा भूमि पर विभाजन किया हुआ है वादीगण व प्रतिवादीगण का वागद्रस्त भूमि पर भौतीक विभाजन किया हुआ है जिसमें प्रतिवादीगण अपने हिस्से पर काश्त कर रहे है वही वादीगण को अपने हक हिस्से में प्रतिवादीगण अपनी स्वय की भूमि बताकर काश्त नही करने दे रहे है जबकि वादी व प्रतिवादीगण व वादग्रस्त भूमि पर अपने अपने हक हिस्से के अनुसार वर्षो से काबिज है उसी अनुसार काश्त करते है।

3. यह है कि वादग्रस्त भूमि माप व सीमाकंन के अनुसार विभाजन किया हुआ नही है। इसलिए प्रतिवादीगण अपनी मनमर्जी के अनुसार वादग्रस्त भूमि में अपने हिस्से से अधिक भूमि पर कब्जा करने हेतु आमदा हैं एवम प्रतिवादीगण वादीगण को उनके हक हिस्से की भूमि पर जबरन स्वय की भूमि बताकर काश्त नही करने दे रहे हैं जब वादी ने अपने हक हिस्से की भूमि पर काश्त करने कर रहे थे तो प्रतिवादीगण एकराय होकर दिनॉक 26.11.2023 (छब्बीस नवम्बर दो हजार तेबीस) एकराय होकर वादीगण व उसके परिवार के लोगो के साथ मारपीट की जिसका फोजदारी प्रकरण सख्या 174/2023 (एक सौ चोहतर बटा दो हजार तेबीस) पुलिस थाना मतौडा अन्तर्गत धारा 143,341,323, 427, 354, 458 भारतीय दण्ड संहिता का दर्ज हो रखा हैं जिससे यह स्पष्ट है कि वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य मौके पर कब्जे को लेकर भयंकर विवाद हैं इस प्रकार से प्रतिवादीगण को वादग्रस्त भूमि में वादीगण के हक हिसे की भूमि पर किसी प्रकार की कोई दखलदांजी करने का अधिकार नही हैं इसलिए वादीगण इस आशय की प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। अत यह वादपत्र बाबत बेदखली के विरूद्व व्यादेश का प्रतिवादीगण के विरूद्व हमरा पेश है।

4. यह है कि वादग्रस्त भूमि वादी तथा प्रतिवादीगण की सयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसमें प्रतिवादीगण द्वारा नाजायज तरीके से वादीगण के हिस्से में वर्षो पूर्व किए गए बटवाडे में तथा वादीगण के हक अधिकार सुदा भूमि में जिसमें प्रतिवादी द्वारा नाजायज तरीके से कब्जा कर लिया तो प्रतिवादीगण का कब्जा हटाया जाना मुश्किल हो जाएगा तथा वादी अपने हक अधिकार सुदा भूमि के उपयोग व उपभोग से महरूम हो जाएगा। इसलिए वादी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति रूपयौ पैसो में किया जाना असम्भव होगा।

5. यह है कि वाद्रगस्त भूमि वादी की खातेदारी तथा हक अधिकार सुदा भूमि होने तथा वादी को उक्त भूमि मे वर्षो से कब्जा काश्त होने से तथा प्रतिवादी को कोई उक्त भूमि में दखलदांजी का कोई हक अधिकार नही होने से प्रथम दृष्टया सुदृढ मामला वादी के पक्ष में बनता है। व सुविधा का सन्तलन भी वादी के पक्ष में बखुबी प्रमाणित है।

6. यह है कि बिनाय दावा दिनॉक 26.11.2023 (छब्बीस नवम्बर दो हजार तेबीस) को प्रतिवादीगण के द्वारा वादी के खातेदारी व हक अधिकार सुदा भूमि में जबरन कब्जा करने की नियत से बेदखल करने हेतु आमदा हुआ तब बमुकाम ग्रम जेवासर में उत्पन्न हुआ जो बिनाय दावा आज भी निरन्तर विद्यमान है व दावा अन्दर म्याद पेश है।

7. यह है कि प्रतिवादीगण सख्या 25 भूमिधारी होने से प्रफोर्मा पक्षकार के रूप में संयोजित किया है लेकिन प्रतिवादीगण सख्या 25 से कोई ईस्तदुआ नही चाही हे। इसलिए प्रतिवादीगण सख्या 25 को धारा 80 (अस्सी) सी पी सी के नोटिस की पालना के बगैर यह वादपत्र पेश किया जा रहा हे।

8. यह है कि वादी वादपत्र के साथ न्यायालय शुल्क रूपये 02 (दो) के अलावा तलबाना भी पेश कर रहा हे।

9. यह हे कि ईस्तदुआ वादी निम्न प्रकार से है :-

1. यह है कि स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण के इस आशय की जारी की जावे कि वादग्रस्त भूमि तहसील बापिणी के राजस्व ग्राम मुकनासर के खसरा सख्या 837 (आठ सौ सेतीस) रकबा 5.3014 हेक्टर व राजस्व ग्रम जेवासर के खसरा सख्या 1245 (बारह सौ पेतालीस) रकबा 42. 3624 हेक्टर भूमि में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की कोई दखलदांजी नही करे तथा न ही किसी अन्य से करावे ।
2. कि खर्चा दावा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।
3. कि अन्य दादरसी जो मुफिद वादीगण हो अता फरमायी जावे।

**वादी**

**तस्दीक :–**

मै आसूराम पुत्र श्री केसाराम जाति जाट निवासी ग्रम जेवासर तहसील बापिणी जिला फलोदी वाला शपथपूर्वक बयान कर तस्दीक करता हूँ वादपत्र में वर्णित सम्पूर्ण तथ्य मेरी निजी जानकारी व मिली कानूनी सलाह के अनुसार सत्य व सही हें इसमें कोई भी न तो गलत अकित किया गया है तथा न ही कोई भी तथ्य छुपाया गया है।

**तस्दीककर्ता**